By-email

पत्रांक–म०भो० / को०–292 / 2011......2929....... /

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार।

पटना, दिनांक 27.12.2013

विषयः प्रखंड साधन सेवी द्वारा मासिक ऑन लाईन MIS में किये गये डाटा प्रविष्टि का भुगतान 01.04.2013 से मासिक ऑन लाईन MIS से राशि का भुगतान जिला स्तर से करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मासिक ऑन लाईन MIS में प्रखंड साधन सेवी द्वारा किये गये ऑन लाईन डाटा प्रविष्टि के आधार पर ही जिलों द्वारा भुगतान कर दिया जाना है। अलग से निदेशालय द्वारा कोई पत्र नहीं दिया जायेगा। मासिक ऑनलाईन डाटा प्रविष्टि के आधार पर ही प्रखण्ड साधन सेवी को प्रत्येक माह भुगतान किया जाना है। इसका 01.04.2013 से जिला स्तर पर मासिक ऑन लाईन MIS से ही करना है। इसका प्रावधान मासिक ऑन लाईन MIS में कर दिया गया है। मासिक ऑन लाईन MIS में डाटा प्रविष्टि करने के लिए 16/– रू० प्रति विद्यालय की दर से प्रखंड साधन सेवी को भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया है, जिसका भुगतान प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मुल्यांकन मद में कर्णांकित राशि से किया जाना है। प्रखंड के जितने विद्यालयों का डाटा इन्ट्री माह के 15वीं तारीख तक कर लिया गया है उनका भुगतान 16/– रू० प्रति विद्यालय की दर से किया जाना है एवं जिन विद्यालयों का माह के 15वीं तारीख के बाद विद्यालय का डाटा इन्ट्री किया गया है उनका 32/– रू० प्रति विद्यालय की दर से साधन सेवी से राशि की कटौती कर उस महीनें का भुगतान किया जाना है। अगर प्रखंड साधन सेवी द्वारा उस महीने में अपने प्रखंड के विद्यालयों का ऑन लाईन डाटा प्रविष्टि नहीं किया गया है अथवा उस माह के 15वीं तारीख के बाद डाटा इन्ट्री किया गया है एवं उनका कुल भुगतान ऋणात्मक है, तो ऐसी स्थिति में कटौती योग्य राशि उनके मासिक मानदेय से कटौती किया जाय। बाल श्रमिक विद्यालयों (NCLP) के आँकड़ों की प्रविष्टि संबंधित प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी द्वारा ऑन लाईन में किया जाता है इसलिये इसका भुगतान भी संबंधित प्रखंड साधन सेवी को किया जायेगा।

मासिक ऑन लाईन MIS में स्वयं सेवी संस्था द्वारा अच्छादित विद्यालयों का मासिक डाटा का प्रविष्टि स्वयं सेवी संस्था द्वारा ही किया जाता है एवं इन विद्यालयों का बाकी अन्य डाटा का प्रविष्टि उस प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी द्वारा किया जाता है। इसलिए मासिक ऑन लाईन MIS में मासिक डाटा

प्रविष्टि करने के लिए 16/— रू० प्रति विद्यालय में से 8/— रू० प्रति विद्यालय का भुगतान स्वयं सेवी संस्था को किया जाएगा, एवं 8/— रू० प्रति विद्यालय का भुगताान संबंधित प्रखंड साधन सेवी को किया जाना है जिनके द्वारा बाकी सभी अन्य विद्यालय से संबंधित डाटा की प्रविष्टि की जाती है। अगर स्वयं सेवी संस्था द्वारा जिन विद्यालयों का मासिक डाटा की प्रविष्टि माह के 15वीं तारीख के बाद किया गया है उनका 16/— रू० प्रति विद्यालय की दर से स्वयं सेवी संस्था से राशि की कटौती कर उस महीनें का भुगतान किया जाना है एवं 16/— रू० प्रति विद्यालय की दर से संबंधित प्रखंड साधन सेवी से भी कटौती कर उस महीनें का भुगतान किया जाना है। इसका प्रावधान पूर्ण रूप से मासिक MIS में कर दिया गया है। सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, प्रत्येक माह के 20 तारीख के बाद उपलब्ध प्रपत्र Excel एवं PDF को Download कर उपलब्ध प्रपत्र के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित करेगें। प्रत्येक माह 25 तारीख तक प्रखंड साधन सेवी/स्वयं सेवी संस्था को भुगतान करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

26.12.

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।